केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली–110001
दूरभाष : 23353503, फैक्स : 23753923

याचिका संख्या. 46/टीएल/2020 **दिनांक : 26.2.2020**

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप धारा (5) के खंड (क) के तहत नोटिस

विद्युत अधिनियम 2003 (अधिनियम) की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत आवेदन निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए "मैसर्स सीजीपीएल स्विचयार्ड में संबद्ध बेज सहित 400/220 केवी आईसीटी की स्थापना और द्वारका (गुजरात) में आरई परियोजना (1500 मेगावाट) में संयोजकता उपलब्धता के लिए जाम खाम्भालिया पूलिंग स्टेशन के अंतर–संबंध और जाम खाम्भालिया पूलिंग स्टेशन के लिए पारेषण प्रणाली" स्थापित करने के लिए जाम खाम्भालिया ट्रांसको लिमिटेड, सी–105, आनंद निकेतन, नई दिल्ली–110 021 द्वारा आवेदन किया गया है:

क्र.सं.	पारेषण घटक का नाम	पूरा करने का लक्ष्य
क) द्वारका (गुजरात) में आईई परियोजना (1500 मेगावाट) की संयोजकता उपलब्धता के लिए जाम खाम्भालिया पूलिंग स्टेशन		
1.	4X500 एमवीए, 400/220 केवी जाम खाम्भालिया पीएस (जीआईएस) की स्थापना • 4X500 एमवीए, 400/220 केवी • 400 केवी आईसीटी बेज–4 • 220 केवी आईसीटी बेज–4 • 400 केवी लाइन बे–4 (मै. वायु से 1 नं. 400 केवी बे) • 220 केवी लाइन बे–7 (मै. एयर पावर के लिए 220 केवी बे का 1 नं और भावी डेवलपर्स के लिए 220 केवी बे का 6 नं) भावी प्रावधानः 400/220 केवी आईसीटी बेज सहित : 4 नं. 400 केवी लाइन बेज : 8 नं. 220 केवी लाइन बेज : 9 नं. 420 केवी बस रिएक्टर बेज सहित : 1 नं.	17 माह (मार्च, 2021)
2	रिएक्टर बे सहित जाम खाम्भालिया पीएस में 1X125 एमवीएआर, 420केवी बस रिएक्टर 1X125 एमवीएआर, 420 केवी 420 केवी रिएक्टर बेज–1	
ख) द्वारका (गुजरात) में आईई परियोजना (1500 मेगावाट) की संयोजकता उपलब्धता के लिए जाम खाम्भालिया पूलिंग स्टेशन का अंतरसंबंध		
1.	एस्सार–लकडिया/भचाऊ 400 केवी डी/सी (ट्रिपल स्नोबर्ड) लाइन का जाम सम्भालिया पीएस तक विस्तार	17 माह (मार्च, 2021)
2.	जाम खाम्भालिया पीएस–लकडिया 400 केवी डी/सी (ट्रिपल स्नोबर्ड) लाइन की समाप्ति के लिए जाम खाम्भालिया पीएस में 400 केवी लाइन बेज का 2 नं.	
3.	400 केवी डी/सी लाइन लकडिया–जाम खाम्भालिया के दोनों अंत में और दोनों सर्किट पर 500 ओम एनजीआर सहित (ट्रिपल स्नोबर्ड) 400 केवी डी/सी लाइन लकडिया–जाम खाम्भालिया के दोनों अंत में 63 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर • 2X63 एमवीएआर • 420 केवी रिएक्टर बेज–4	
ग) मैसर्स सीजीपीएल स्विचयार्ड में 400/220 केवी आईसीटी बेज सहित स्थापना		
1.	सीजीपीएल मुन्द्रा स्विचयार्ड में 1X500 एमवीए, 400/220 आईसीटी • 1X500 एमवीए, 400/220 केवी • 400 केवी आईसीटी बे–1 • 220 केवी आईसीटी बे–1	17 माह (मार्च, 2021)

2. आवेदक का अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार आरईसी ट्रांसमिशन परियोजना कंपनी लिमिटेड द्वारा की गई प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर रु. 336.68 मिलियन प्रति वर्ष के निम्नतम स्तरीकृत पारेषण प्रभारों सहित सेवा प्रदायक के रूप में चयन किया गया है।
3. केन्द्रीय पारेषण कंपनी ने प्रस्तावित पारेषण प्रणाली के स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने की सिफारिश की है।
4. रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर आयोग ने याचिका संख्या 46/टीएल/2020 में दिनांक 24.2.2020 के आदेश के माध्यम से उक्त पैरा 1 में नोट किए गए पारेषण प्रणाली स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी करने का प्रस्ताव किया है।
5. जाम खाम्भालिया ट्रांसको लिमिटेड को अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति के लिए वेबसाइट www.adanitransmission.com में देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।
6. नोटिस अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हैं, को उक्त पते पर 16.3.2020 तक अधोहस्ताक्षरी को भेजा जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. आवेदन 19.3.2020 को आयोग द्वारा आगे की सुनवाई के लिए लिया जाएगा। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दाखिल करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

ह0/–
(सनोज कुमार झा)
सचिव